



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, मंगलवार, 13 जनवरी, 2026

पौष 23, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग
(पारेषण का बहुवर्षीय प्रशुल्क) (प्रथम संशोधन) विनियमावलि, 2025

संख्या यूपीईआरसी/डी(टी)एडएस/जेडी (टी)/ 191-015

लखनऊ, 13 जनवरी, 2026

अधिसूचना

विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 181 के साथ पठित धारा 61 एवं उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारेषण का बहुवर्षीय प्रशुल्क) विनियमावलि, 2025 तथा इस सम्बंध में सक्षमकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद्वारा, अधिसूचना संख्या-यूपीईआरसी/डी(टी)/जेडी (पारेषण)/156-012 के अंतर्गत अधिसूचित उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारेषण का बहुवर्षीय प्रशुल्क) विनियमावलि, 2025 के संशोधन में निम्नलिखित विनियमावलि निर्मित करता है:-

1-संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रयोज्यता और प्रारंभ

(1.1) इन विनियमावलियों को उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारेषण का बहुवर्षीय प्रशुल्क) (प्रथम संशोधन) विनियमावलि, 2025 कहा जाएगा।

(1.2) ये विनियमावलि दिनांक 01 अप्रैल, 2025 से पांच वर्षों की अवधि के लिए लागू रहेंगी, जब तक आयोग द्वारा उन्हें उसके पूर्व समीक्षित या विस्तारित न किया जाए।

2-विनियमावली 13 में संशोधन

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारेषण का बहुवर्षीय प्रशुल्क) विनियमावलि, 2025 में, विनियमावली 13 में, "मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय" से सम्बंधित उपनियमावली (7) में, अंक "2 प्रतिशत", वह जहां भी उल्लिखित हो, के स्थान पर अंक "1.5 प्रतिशत" प्रतिस्थापित किया जायेगा।

आयोग के आदेश द्वारा,
सुमित कुमार अग्रवाल,
सचिव,

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग।

UTTAR PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
(MULTI YEAR TARIFF FOR TRANSMISSION) (FIRST AMENDMENT)
REGULATIONS, 2025

No. UPERC/D(T&S)/JD(T)/191-015

Dated Lucknow, January 13, 2026

IN exercise of the powers conferred under Regulation 38 of Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (Multi Year Tariff for Transmission) Regulations, 2025 and Section 181 read with the Section 61 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and all other powers enabling it in that behalf, the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission hereby makes the following Regulations to amend the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (Multi Year Tariff for Transmission) Regulations, 2025 notified *vide* notification no. UPERC/D(T)/JD(Transmission)/156-012, dated June 06, 2025, namely: –

1. Short title, Extent, Applicability and Commencement

(1.1) These Regulations may be called the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (MYT for Transmission) (First Amendment) Regulations, 2025.

(1.2) These Regulations shall come into force from April 1, 2025 and unless reviewed earlier or extended by the Commission, shall remain in force for a period of five years.

2. Amendment of Regulation 13

(2.1) In the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (Multi Year Tariff for Transmission) Regulations, 2025, in Regulation 13, sub-regulation (7) relating to “Repairs and Maintenance Expenses” the figure “2%”, wherever it occurs shall be substituted with the figure “1.5%”.

By the Order of the Commission,

SUMEET KUMAR AGARWAL,

Secretary,

Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission.

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 375 राजपत्र-2026-(1143)-588 प्रतियां (डी0टी0पी0/ऑफसेट)।

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 15 सा0 ऊर्जा-2026-(1144)-100+500=600 प्रतियां (डी0टी0पी0/ऑफसेट)।